

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/225

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम देवपुरी की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 10, 83 में सावरा पुत्र उदय का नाम सावरा पुत्र उदय के स्थान पर सावरा पुत्र उदय के नाम पर 10, 83 संशोधित किया जाना उचित है।  
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक-

(सावरा पुत्र उदय)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम देवपुरी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 10, 83 में प्रार्थी का नाम सावरा पुत्र उदय दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम सावरा पुत्र उदय है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

सावरा पुत्र उदय  
भूअ.निरीक्षक

पटवारी  
पटवारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी देवपुरी व भूअ.निरीक्षक सावरा पुत्र उदय एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम देवपुरी की जमाबन्दी सम्वत् 75 से 78 की खाता संख्या 10, 83 में प्रार्थी का नाम सावरा पुत्र उदय के बजाय सावरा पुत्र उदय किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

सावरा पुत्र उदय  
तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रपत्र 163/22  
10/04/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम देवपुरी जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 10, 83 में दर्ज प्रार्थी का नाम सावरा पुत्र उदय के स्थान पर सावरा पुत्र उदय संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रभाकर  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)